कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 298011

E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in

पत्रांक 52 दिनांक 04/01/2020

सेवा में

श्री सुहैल खलीक खान,
उप महाप्रबंधक, (सीविल)
एन.टी.पी.सी. लिमिटेड टण्डवा, चतरा।

विषयः— टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत एन.टी.पी.सी. द्वारा जलाशय एवं राख डाइक परियोजना निर्माण हेतु 10.24 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि जलाशय एवं राख डाइक परियोजना निर्माण हेतु 10.24 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव अपने पत्रांक शून्य दिनांक 28.11.2019 द्वारा नौ हार्ड कॉपी में इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। समर्पित प्रस्ताव की जाँच भारत सरकार द्वारा निर्गत चेक लिस्ट के अनुसार किया गया। जाँचोपरांत कतिपय वांछित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न नहीं है एवं कई त्रुटियाँ पाई गई जो निम्नवत है–

1. Form-A पार्ट–1 के कंडिका B-1 में Central Government under the Act for diversion of forest land for the project already submitted in the past details में Nil अंकित है, जबकि इस प्रमंडल अन्तर्गत हीं NTPC Super Thermal Power Plant Project, Tandwa पर भारत सरकार द्वारा स्टेज–2 की अंतिम स्वीकृति प्राप्त है। अतः पूरे झारखण्ड में एन.टी.पी.सी. को भारत सरकार से प्राप्त स्टेज–1 एवं 2 स्वीकृत परियोजनाओं की विवरणी अंकित किया जाय।
2. प्रस्ताव में संलग्न Justification for locating the project in forest land के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है कि इस परियोजना के लिए वन भूमि लेने का क्या औचित्य है ? Justification में वन भूमि लेने का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
3. अपयोजित होनेवाले वन भूमि के विरूद्ध एन.पी.भी. की राशि जमा करने से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है। संलग्न किया जाय।
4. विषयगत परियोजना में गैर वन भूमि प्रभावित नहीं है तो R&R प्लान एवं Tribal Affair and min use of forest land का अन्डरटेकिंग देने का क्या औचित्य है, स्पष्ट किया जाय।
5. अपयोजित होने वाले वन भूमि में प्रभावित वृक्षों की गणना सूची संलग्न नहीं है, संलग्न किया जाय।
6. Form-A पार्ट–1 के कंडिका H(i) में status of Environment Clearance Act 1986 में No का उल्लेख है जबकि हार्ड कॉपी प्रस्ताव में एन.टी.पी.सी. सुपर थर्मल पावर प्लान्ट प्रोजेक्ट हेतु भारत सरकार से प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र संलग्न किया गया है इस संबंध में स्पष्ट किया जाय।
7. प्रस्ताव में संलग्न टोपोमैप 1:50000 स्केल पर जलाशय एवं राख डाइक को पेंसिल से दर्शाया गया है जो स्केल के अनुसार नहीं है तथा लिजेण्ड भी नहीं दर्शाया गया है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। प्रस्ताव में संलग्न लैण्डयूज प्लान नॉट स्केल है तथा प्रस्तावित जलाशय 5.79 हे0 एवं राख डाइक 4.45 हे0 है जबकि अवलोकन से प्रतीत होता है कि राख डाइक हेतु दिखाया गया क्षेत्र अधिक है। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है।
8. प्रस्ताव में संलग्न मौजा मैप के अवलोकन उपरांत मौजा राहम में पाया गया कि 668 अंश में 65 डिसमील भूमि को नक्शा पर रंग से दर्शाया हुआ नहीं है जबकि उपायुक्त, चतरा द्वारा गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अंकित है। अतः दोनो विरोधाभाषी है। स्पष्ट किया जाय।
9. अपयोजित होने वाले वन भूमि का Geo-reference map in shape file का नक्शा प्रस्ताव में संलग्न है परन्तु इस क्रम में तैयार किये गये फाईल की प्रति संलग्न नहीं है, संलग्न किया जाय।

10. प्रस्ताव में संलग्न land use plan पर मौजा राहम में जलाशय एवं मौजा नईपारम में राख डाइक परियोजना निर्माण किया जाना है। दोनों के बीच लगभग 1–1.5 कि0मी0 की दूरी है। इस बीच में Connectivity नहीं है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे के बीच आने जाने में फौरेस्ट एवं नन फौरेस्ट लैण्ड प्रभावित होंगे जिसका Violation होगा, इस संबंध में स्पष्ट किया जाय।

अतः उपरोक्त वांछित अभिलेख/त्रुटियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव की आठ प्रतियाँ एवं ऑनलाईन प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस किया जाता है।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।